

संचालनालय, कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशि0/म0.प्र.वि.से.(परि)/17/647
प्रति,

भोपाल,दिनांक 28-7-2018

कोषालय अधिकारी,
जिला कोषालय इंदौर/रीवा
(म0प्र0)

विषय:- नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा(परिवीक्षाधीन)अधिकारियों के प्रशिक्षण बाबत ।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक/प्रशि0/म0.प्र.वि.से.(परि)/17/632 दिनांक 13-07-2018

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में नवनियुक्त म0प्र0 वित्त सेवा के निम्नांकित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को दिनांक 24-07-2018 से 23-10-2018 तक जिला स्तर पर कार्यालयीन कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें :-

स0क्रं0	परिवीक्षाधीन अधिकारी	कोषालय का नाम जहां प्रशिक्षण दिलाया जाना है ।
01	श्रीमती अर्चना त्रिपाठी	जिला कोषालय इंदौर
02	कु0 शिवाली पाण्डेय	जिला कोषालय रीवा

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जिला स्तर पर लिये गये प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रतिवेदन एकजाई कर कोषालय अधिकारी, स्वयं के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सहायक संचालक, प्रशिक्षण शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल को ई-मेल dta_training@mptreasury.gov.in के माध्यम से प्रेषित करेंगे एवं प्रशिक्षण के दौरान लिये गये अवकाश आवेदन आदि सहायक संचालक, राजपत्रित शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा के नाम प्रेषित करेंगे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)


(विश्वजीत झारिया)

संयुक्त संचालक

भोपाल,दिनांक 28-7-2018

पृ0क्रमांक/प्रशि0/म0प्र0वि0से0(परि0)/17/648
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा इंदौर/रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 3- संबंधित प्रशिक्षणार्थी श्री/श्रीमती/कुमारी-----
जिला कोषालय-----की ओर पालनार्थ अग्रेषित । प्रत्येक परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण से अनुपस्थिति की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरांत अपना प्रशिक्षण प्रतिवेदन, संबंधित जिला कोषालय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर उपरांत सहायक संचालक, प्रशिक्षण शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल को प्रेषित करेंगे ।
- 4- श्री लोकेश तिवारी, सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय कोष एवं लेखा भोपाल की ओर उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालनालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


संयुक्त संचालक